संख्या-39/2025/745/22-4-2025-1941150

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2025

विषय:- नवसंचालित जिला कारागार प्रयागराज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती व केन्द्रीय कारागार इटावा की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु 01-01 नग बंद जीप व 02-02 नग मोटर साईकिल के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22516/नजारत(4)/38/2025, दिनांक 31.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० की 04 नग 'बोलेरो नियो प्लस, पी-4 एम्बुलेंस बीएस-6 को छोड़ते हुए शेष प्रस्तावित वाहनों के क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवसंचालित जिला कारागार प्रयागराज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती व केन्द्रीय कारागार इटावा में 01-01 नग बंद जीप व 02-02 नग मोटर साईकिल की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि में से मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि० की 04 नग ग्राण्ड बिटारा स्मार्ट हाईब्रिड सिगमा 1.5L 5MT के क्रय हेतु रू0 35,14,794/- एवं मेसर्स बजाज ऑटो लि० की 08 नग बजाज मोटर साईकिल पल्सर 125 नियॉन के क्रय हेतु रू0 6,55,648/-, इस प्रकार कुल 12 नये वाहनों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 4170442/- (रूपया इकतालीस लाख सत्तर हजार चार सौ बयालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करतें हैं:-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें।

(5) वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 41,70,442 (रुपये इकतालीस लाख सत्तर हजार चार सौ बयालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002600 समस्त कारागार **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-213-X-2025-26 दिनांक 14.08.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2025/745(1)/22-4-2025-1941150, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) जिलाधिकारी, प्रयागराज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती व इटावा।

(4) वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, जिला कारागार प्रयागराज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती व केन्द्रीय कारागार इटावा।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।